

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

केवल निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

श्री. अशोक लाल शर्मा (आदि)
पुलगाण मुनवर शेर
ग्राम मौदमदपुर चौकी, जलपद बाराबंकी।

महोदय,

कालोनी मार्ग..... ग्राम मौदमदपुर चौकी..... मोहल्ला/बाजार.....
नगर बाराबंकी के प्लॉट..... घर के खसरा सं० 52, 53A, 54A, 54B, 55, 59, 105, 116, 119
भवन सं० रिवाइज्ड ग्रुप ए.ए.सिंग मानचित्र शाहीनार मकान शहर / में निर्माण/सारवान/परिवर्तन/गिराने के
लिए अनुज्ञा देने के आपके आवेदन-पत्र..... K.L.M.N व E.W.S./L.I.G. दिनांक..... 19/08/2020
के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दे दी गयी है/देने से इन्कार कर दिया है-


1. शर्त निर्धारित के पश्चात Completion Certificate प्राप्त करता होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर नालापूर्ति, ड्रेनेज शीवरेंज एवं कूड़ा बिस्तारण का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. E.W.S./L.I.G. शर्तों का निर्माण कर शासन/विभाग के क्रम में आवंटित करना होगा।
4. मानचित्र स्वीकृत दिनांक से 5 (पांच) वर्ष तक मान्य होगा।
5. रेत वाटर हार्डस्टिंग एवं दृश्यशीर्षण की व्यवस्था तिथिमानुसार करनी होगी।
6. शर्त उपायों के अनुसार सम्पूर्ण प्रस्तावित / निर्माण स्थल पर सौलर लाइट की व्यवस्था करनी होगी।
7. आवेदन द्वारा शपथ पत्र दिनांकित 12/10/2020 प्रस्तुत कर यह कहा गया कि लेबर सैस, स्टैम्प चार्ज डिजिटल की जांच सम्बन्धित विभागों से करवाकर व अग्निशमन के अनापत्ति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा। शर्त एवं 30 दिवस के अन्दर उक्त शर्तों का अनुपालन कर कार्यालय को भूषित करने के उपरान्त ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

8. नगर एवं ग्राम नियोजन के पत्र 1034/स.नि.के/वि.क्ष-बाराबंकी/2020-21 दिनांक 01-10-2020 में दी सलगनक :- गणी शर्तों का पालन करना होगा।

- 1- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति। (कुल 12 मानचित्र)
- 2- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 की छायाप्रति।

कार्यालय सूचना संख्या 90/2020

दिनांक 13/10/2020



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
13/10/2020